


(76)



23/11/18

क्रमांक - 35/18

प्रतिस्थापन - 6350/2018/सुरक्षा/पुर/भू.रा.

पेशी ला. 23/11/18

श्रीमान राजेश मोहन उवालयर केम्प इंडोरे (म्य)

सौरभ पिता रविश कुमार लड

— कवेरु / निवासी

वि

पेकज केम्प

— उत्पत्ति

कवेरु पत्र क्रमांक धारा 35(3) म.प्र.भू.राज्य संहिता

कवेरु की ओर से सादर विवेक है कि-

① यह कि उपरोक्त उक्त क्रमांक दिनांक को अधिनियम वापरने के क्रमिलेव प्राप्त हेतु निपत था।

② यह कि उपरोक्त उक्त से सम्बंधित रिकॉर्ड की जानकारी अधिनियम के अधिनियम वापर से लेकर मैं 25 मार्च 11.15 बजे उपस्थित होकर उक्त से उक्त की फाइल केला खोजा गया था एवं मुझे 1 बजे मैं मार्च वापर के लक्ष उपस्थित हुआ था एवं मैंने उक्त उक्त (श्री वि.ए.) के उक्त की फाइल लक्ष की जो हमें नहीं मिली लक्ष में मुझे 1 बजे वापर में उपस्थित हुआ एवं मुझे जानकारी दी गयी कि उक्त मेरी उपस्थिति के क्रम परीक्षा वाजि किया जा चुका है।

③ यह कि कवेरु का उक्त महत्वपूर्ण होकर कवेरु उक्त का निराकरण गुण गैर पर कवाला चाहता है जिससे कवेरु के उक्त को उक्त स्थापित किया जाना वापर के क्रम परीक्षा है)

*(Signature)*



कवेरु श्रीमान के विवेक है कि कवेरु

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

6350

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. /2018/बुरहानपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-11-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री गोविंद मीणा अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री विनोद सुगंधी अभिभाषक उपस्थित । रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये । न्यायहित में रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2018/0541 सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाये । रेस्टोरेशन प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>